रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 92] नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 1989/वैशाख 27, 1911
No. 92] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 1989/VAISAKHA 27, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 10 मई, 1989

सं० 41/3/सी० एक/89:— 9 मई, 1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा एतद्द्वारा सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है:—

"संख्या 2929

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम (छठा संस्करण) में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन, नियम (छठा संस्करण) के नियम 331 के उपनियम (3) के अनुसरण में उक्त नियमों में लोक सभा द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं :—

नये नियम 331ग, 331घ, 331ङ और 331च

नियम 331ख के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम अन्तःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्:—

"कृषि समिति

331ग कृषि मंत्रालय तथा संबद्ध मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित किये जाने वाले कृषि संबंधी कृत्य सभी विषयों की जांच करने के लिए तथा उनके बारे में समय-समय पर प्रतिवेदन देने के लिए एक कृषि समिति होगी। समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे:-

(क) कृषि मंत्रालय तथा संबद्ध मंत्रालयों के ऐसे क्रियाकलापों की जांच करना, जो समिति को ठीक प्रतीत हों;

(ख) संसद् द्वारा अनुमोदित नीति से संगत क्या मितव्ययता, संगठन में सुधार कार्य-पद्धति या प्रशासनिक सुधार किये जा सकते हैं इस संबंध में प्रतिवेदित करना;

(ग) कृषि मंत्रालय तथा संबद्ध मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों की यह पता लगाने के लिये जांच करना कि क्या किया गया व्यय प्राप्त परिणामों के अनुरूप है;

(घ) कृषि मंत्रालय तथा संबद्ध मंत्रालयों की ऐसी योजना परियोजनाओं/कार्यकलापों की जांच करना जो समिति को ठीक प्रतीत हो अथवा जो सभा या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जायें; और

(ङ) कृषि और कृषि उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा समूचे रूप से विकास का मूल्यांकन करना और उसके लिए उपाय सुझाना जिससे उनका योगदान नियति, आदि के लिए खाद्य, कच्चे माल और उत्पादों की आपूर्ति करके आर्थिक विकास में बढ़ाया जा सके;

'331घ गठन—(1) समिति में 22 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिनमें से 15 सदस्य प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष द्वारा लोक सभा सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे तथा सात से अनधिक सदस्य राज्य सभा से होंगे जो समिति के साथ सहयोजित किये जाने के लिए राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

परन्तु किसी मंत्री को इस समिति के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य, समिति के मनोनीत होने के बाद, मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति

331ङ कृत्य—विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध मंत्रालयों द्वारा निपटाये जाने वाले सभी विषयों की जांच करने के लिये तथा उनके बारे में समय-समय पर प्रतिवेदन देने के लिये एक समिति होगी। समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे:—

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध मंत्रालयों के ऐसे क्रियाकलापों की जांच करना, जो समिति को ठीक प्रतीत हों;

(ख) संसद् द्वारा अनुमोदित नीति से संगत क्या मितव्ययता संगठन में सुधार, कार्य पटुता या प्रशासनिक सुधार किये जा सकते हैं, इस संबंध में प्रतिवेदित करना;

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों की यह पता लगाने के लिये जांच करना कि क्या किया गया व्यय प्राप्त परिणामों के अनुरूप है,

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध मंत्रालयों की ऐसी योजना परियोजनाओं/कार्यकलापों की जांच करना जो समिति को ठीक प्रतीत हो अथवा जो सभा या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जायें;

(ङ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का अध्ययन करना;

(च) अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने तथा उद्योग और कृषि एवं राष्ट्र की सुरक्षा के लिये उनके उपयोग के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा सहायता प्राप्त क्रियाकलापों की जांच तथा मूल्यांकन करना;

(छ) वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं को प्रभावित करने वाले मामलों, यथा वित्तीय, कार्मिक, क्रय तथा आयात नीतियों और प्रथाओं की जांच करना;

(ज) जीवन-प्रौद्योगिकी संबंधी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जांच करना;

(झ) वैज्ञानिक जनशक्ति के विकास तथा उपयोग के लिये संबंधित उपायों की जांच करना; और

(ञ) वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी आविष्कारों का अधिक उपयोग कर के अधिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये उपाय सुझाना।

331च गठन—(1)—समिति में 22 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिनमें से 15 सदस्य प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष द्वारा लोक सभा सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे तथा सात से अनधिक सदस्य राज्य सभा से होंगे जो समिति के साथ सहयोजित किये जाने के लिए राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

परन्तु किसी मंत्री को इस समिति के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य, समिति के मनोनीत होने के बाद मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

सुभाष काश्यप,
महासचिव।"

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th May, 1989

No. 41/3/CI/89.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin-Part II, dated the 9th May, 1989, is hereby published for general information :—

"No. 2929

Amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixth Edition)

In pursuance of sub-rule (3) of rule 231 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixth Edition), the following amendments approved by Lok Sabha to the said Rules, are hereby published :—

New Rules 331C, 331D, 331E and331F

After rule 331B, the following new rules shall be inserted namely :—

"COMMITTEE ON AGRICULTURE

331C Functions.—There shall be a Committee on Agriculture to examine all matters connected with agriculture as are dealt with by the Ministry of Agriculture and allied Ministries and to report thereon from time to time.

(a) to examine such of the activities of the Ministry of Agriculture and allied Ministries as may seem fit to the Committee;

(b) to report what economies, improvements in organisation, efficiency or administrative reform consistent with the policy approved by Parliament, may be effected;

(c) to examine the Annual Reports of the Ministry of Agriculture and allied Ministries with a view to finding out whether the expenditure incurred was commensurate with the results achieved;

(d) to examine such of the plan projects/ activities of the Ministry of Agriculture and allied Ministries as may seem fit to the Committee or are specially referred to it by the House or the Speaker; and

(e) to evaluate and suggest measures for modernisation and overall development of agriculture and agricultural industries with a view to enhancing their contribution to economic growth through supplies of food, raw materials and projects for exports, etc.

331D Constitution.—(1) The Committee shall consist of not more than 22 members comprising 15 members to be nominated by the Speaker every year from amongst the members of Lok Sabha and not more than 7 members of Rajya Sabha to be nominated by the Chairman, Rajya Sabha for being associated with the Committee.

Provided that a Minister shall not be nominated as a member of the Committee, and that if a member, after his nomination to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of office of the members of the Committee shall not exceed one year.

COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY

331E Functions.—There shall be a Committee to examine all matters dealt with by the Ministry of Science and Technology and allied Ministries and to report thereon from time to time. The functions of the Committee shall be :

(a) to examine such of the activities of the Ministry of Science and Technology and allied Ministries as may seem fit to the Committee ;

(b) to report what economies, improvements in organisation, efficiency or administrative reform consistent with the policy approved by Parliament may be effected;

(c) to examine the Annual Reports of the Ministry of Science and Technology and allied Ministries with a view to finding out whether the expenditure incurred was commensurate with the results achieved;

(d) to examine such of the plan projects/activities of the Ministry of Science and Technology and allied Ministries as may seem fit to the Committee or are specially referred to it by the House or the Speaker ;

(e) to study the policies and programmes of Government in the field of science and technological development;

(f) to examine and evaluate Government sponsored or aided activities for the promotion of research and development and their application to industry and agriculture as well as to the security of the nation;

(g) to examine matters affecting scientific and technological institutions, e.g. financial personnel, purchase and import policies and practices ;

(h) to examine the plans and programmes in bio-technology;

(i) to examine measures for development and utilisation of scientific man-power; and

(j) to suggest measures for promoting economic development through increased use of scientific and technological innovations.

331F Constitution.—(1) The Committee shall consist of not more than 22 members comprising 15 members who shall be nominated by the Speaker every year from amongst the members of Lok Sabha and not more than 7 members of Rajya Sabha to be nominated by the Chairman, Rajya Sabha for being associated with the Committee.

Provided that a Minister shall not be nominated as a member of the Committee, and that if a member, after his nomination to the Committee, is appointed a Minister he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of office of the members of the Committee shall not exceed one year."

SUBHASH C. KASHYAP,

Secretary-General."

"संख्या 2930

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (छठा संस्करण) मे संशोधन

लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (छठा संस्करण) के नियम 331 के उपनियम (3) के अनुसरण में उक्त नियमों में लोक सभा द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं:—

नियम 2

1. (एक) नियम 2 के उपनियम (1) में, "मंत्री" की परिभाषा मे "किसी सदस्य" के पश्चात् "जिसमें मन्त्रिमंडल का कोई सदस्य भी शामिल है" अतः स्थापित किया जायेगा;

(दो) नियम 2 के उपनियम (1) में, "मंत्री" शब्द की परिभाषा के पश्चात् अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

व्याख्या: संसदीय सचिव, जो सभा का सदस्य नहीं है, इसकी बैठकों में भाग लेने का हकदार नहीं।

नियम 7

2. नियम 7 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) कार्य-सूची में, जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो वह जब तक वह यह नहीं कहता है कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। किसी भी मामले में वह अपना कथन इस बात तक ही सीमित रखेगा कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है या कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता है।"

नियम 8

3. नियम 8 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

(3) कार्य-सूची में जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो वह, जब तक वह नहीं कहता है कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। किसी भी मामले में वह अपना कथन इस बात तक ही सीमित रखेगा कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना है या कि वह करना नहीं चाहता है।"

नियम 12

4. नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:--

12. "बैठक का प्रारम्भ और समाप्ति—जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे, सभा की बैठक प्रति दिन साधारणतया 11.00 बजे प्रारम्भ होगी तथा 18.00 बजे समाप्त हो जाएगी जिसमें एक घंटे का मध्याह्न भोजनावकाश होगा जो साधारणतया 13.00 बजे से 14.00 बजे तक होगा।"

नियम 14

5. नियम, 14 का लोप किया जाएगा।

नियम 15

6. (एक) नियम 15 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा; और

(दो) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (2) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"(2) यदि सभा के स्थगन के बाद उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन सभा पुनः बुलायी जाती है तो महासचिव प्रत्येक सदस्य को सत्र के अगले भाग की तिथि, समय, स्थान तथा अवधि की सूचना देगा।"

(तीन) पार्श्व शीर्षक में, अंत में "और उसे पुनः बुलाने की प्रक्रिया" जोड़ा जाएगा।

नियम 20

7. (एक) नियम 20 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा; और

(दो) निम्नलिखित उपनियम (2) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"(2) प्रस्तावक अथवा प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले को प्रधान मंत्री अथवा किसी अन्य मंत्री द्वारा सरकार की स्थिति स्पष्ट किये जाने के बाद चर्चा के अंत में उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं होगा।"

(तीन) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"उत्तर देने का अधिकार"

नियम 27

8. नियम 27 के उपनियम (2) के दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अतिरिक्त परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परन्तु यह और भी कि जहां गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ने उपनियम (1) के खंड (ज) के अंतर्गत आने वाले विधेयकों को श्रेणी "क" के रूप में वर्गीकृत किया हो; और ऐसे विधेयकों की संख्या बीस या उससे अधिक हो तो; श्रेणी "ख" के विधेयकों का बैलट नहीं किया जाएगा।"

नियम 28

9. नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :--

28. "गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की पूर्ववर्तिता.—संकल्प प्रस्तुत करने के इच्छुक सदस्यों के नामों का बैलट (लाटरी) अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार ऐसे दिन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष निदेश दे।"

नियम 34

10. (एक) नियम 34 के उपनियम (1) में खंड (क) से पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(क) प्रश्न का पाठ;"

(दो) वर्तमान खंड (क) और (ख) को क्रमशः (ख) और (ग) के रूप में पुनराक्षराकित किया जाएगा;

(तीन) इस प्रकार पुनराक्षराकित खंड (ख) में "और" का लोप किया जाएगा;

(चार) इस प्रकार पुनराक्षराकित खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :--

"(ग) वह तिथि जिसको प्रश्न का उत्तर वांछित हो; और"

(पांच) नियम 34 के उपनियम (1) में निम्नलिखित नया खंड (घ) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :--

"(घ) यदि कोई सदस्य एक ही दिन के लिए प्रश्नों की एक से अधिक सूचनाएं देता है, तो प्रश्न सूची में रखे जाने के लिए प्राथमिकता क्रम, यदि कोई हो।"

नियम 37

11. (एक) नियम 37 के उपनियम (1) में "तारांक" से पूर्व "एक" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(दो) नियम 37 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2) जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे, यदि सदस्य द्वारा प्रश्नों के लिए एक ही दिन के लिए तारांक लगा कर एक से अधिक सूचनाएं दी जाती है तो मौखिक उत्तर की प्रश्न सूची के लिए उसका प्रश्न सदस्य द्वारा दर्शाए गए क्रम में चुना जाएगा और यदि कोई क्रम नहीं दर्शाया गया है, तो इनमें से किसी भी प्रश्न को मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न सूची में उस क्रम में रखा जाएगा, जिस समय--क्रम में उनकी सूचनाएं प्राप्त हुई हों।"

नियम 39

12. (एक) नियम 39 के उपनियम (1) में "किसी प्रश्न को उस दिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय में उत्तर के लिए न पुकारा जाये" शब्दों के पश्चात् "अथवा यदि पुकारा जाये किन्तु जिस सदस्य के नाम में प्रश्न हो, वह अनुपस्थित हो" शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे;

(दो) नियम 39 के उपनियम (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2) यदि बैठक के रद्द किये जाने या कोई कार्य किये बिना इसके स्थगन किये जाने के कारण प्रश्न काल न हो, तो मौखिक और लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूचियों में शामिल किये गये प्रश्नों के उत्तर, उन मंत्रियों के द्वारा जिन्हें वे प्रश्न सम्बोधित किये गये हों, प्रश्न काल के पश्चात् सभा की आगामी बैठक में सभा पटल पर रखे गये माने जायेंगे और उस दिन की कार्यवाही का भाग बन जायेंगे।

(3) यदि किसी दिन प्रश्न काल किसी अन्य कार्य के लिए अथवा किसी अन्य कारण से अधिक समय देने के लिए समाप्त अथवा निलंबित कर दिया जाता है, तो उस दिन के लिए मौखिक तथा लिखित उत्तरों की प्रश्न सूचियों में शामिल किये गये प्रश्नों के उत्तर, उन मंत्रियों के द्वारा जिन्हें ऐसे प्रश्न सम्बोधित किये गये हों, सभा पटल पर रखे गये माने जायेंगे और उस दिन की कार्यवाही का भाग बन जायेंगे

परन्तु यदि सभा प्रश्न काल समाप्त अथवा निलंबित करने के पश्चात् अपनी बैठक को जारी नहीं रखती है, तो उस दिन के लिए मौखिक तथा लिखित उत्तर की प्रश्न सूचियों में शामिल किये गये प्रश्नों के उत्तर सभा की अगली बैठक में प्रश्न काल के पश्चात् सभा पटल पर रखे जायेंगे और उस दिन की कार्यवाही का भाग बन जायेंगे

परन्तु यह भी कि यदि प्रश्न काल में मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची को ले लिए जाने के पश्चात् व्यवधान पड़ जाता है और सूची आंशिक रूप से निबटायी जाती है और बैठक जारी रहती है तो मौखिक उत्तर के लिये प्रश्नों की सूची के शेष प्रश्नों के उत्तर तथा लिखित उत्तर के लिये प्रश्नों की सूची के प्रश्नों के उत्तर 12 बजे के पश्चात् सभा पटल पर रखे गये माने जायेंगे और उस दिन की कार्यवाही का भाग बन जायेंगे ।

(तीन) नियम 39 में निम्नलिखित नया उपनियम (4) जोड़ा जायेगा, अर्थात् --

"(4) यदि किसी सत्र की अन्तिम बैठक रद्द हो जाती है तो उस दिन के लिए मौखिक तथा लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूचियों में रखे गए प्रश्न व्यपगत हो जायेंगे ।"

नियम 41

13 (एक) नियम 41 के उपनियम (2) में, खंड (एक) से पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(एक) यह स्पष्ट और सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त किया जाएगा तथा इतना अधिक सामान्य नहीं होगा कि उसका कोई विशिष्ट उत्तर न दिया जा सके अथवा सूचक प्रश्न के रूप में नहीं होगा ;"

(दो) इस प्रकार अंत:स्थापित किए गए खंड (एक) के पश्चात विद्यमान खंड (एक) से (बाईस) को तदनुसार पुनर्संख्यांकित किया जाएगा ;

(तीन) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड (उन्नीस) में "पर्वेन संबंधित" शब्दों के स्थान पर "का पर्वेन कोई सरोकार" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(चार) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड (इक्कीस) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् --

"(इक्कीस) उसमें ऐसे विषयों के बारे में जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो गोपनीय स्वरूप के हों जैसे मंत्रिमंडल समितियों की रचना, मंत्रिमंडल में की जाने वाली चर्चाएं या राष्ट्रपति को किसी ऐसे विषय में दी गई मंत्रणा जिसके संबंध में जानकारी प्रकट न करने का संवैधानिक, संविहित या रूढ़िगत दायित्व हो ।"

नियम 45

14 नियम 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

45 "अतारांकित प्रश्नों की संख्या सीमा—(1) जो प्रश्न गृहीत कर लिये गये हों और मौखिक उत्तर के लिये प्रश्न सूची में शामिल न किए गये हों, अध्यक्ष के आदेश के अनुसार लिखित उत्तर के लिये प्रश्न सूची में दर्ज कर दिये जायेंगे ।

(2) किसी दिन की लिखित उत्तर के लिये प्रश्न सूची में एक सदस्य के, यदि मौखिक उत्तर के लिये प्रश्न सूची में उसका एक प्रश्न दर्ज है, चार से अनधिक और यदि मौखिक उत्तर के लिये प्रश्न सूची में उसका एक भी प्रश्न दर्ज नहीं है तो पांच से अनधिक तथा कुल मिलाकर 230 से अनधिक प्रश्न दर्ज किए जायेंगे

परन्तु ये सीमाएं लिखित उत्तर के लिये किसी प्रश्न-सूची से अन्य प्रश्न सूची में स्थानान्तरित अथवा स्थगित प्रश्न संख्या के अनुसार बढ़ाई जा सकेंगी

परन्तु यह भी कि किसी दिन की लिखित उत्तर के लिये प्रश्न सूची 230 प्रश्नों की कुल सीमा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य अथवा राज्यों से संबंधित प्रश्न संख्या जो अधिक से अधिक 25 होगी, के अनुसार बढ़ सकेगी ।"

नियम 48

15 नियम 48 के उपनियम (3) में 'पुकारे जाने पर न पूछा जाये या" शब्दों के स्थान पर "पुकारे जाने पर इस कारण न पूछा जाए कि" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

नियम 50

16 नियम 50 में,—

(एक) उपनियम (1) को उपनियम (3) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा ।

(दो) उपनियम (2) को उपनियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् —

"(1) कोई सदस्य, जिसके नाम मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न सूची में प्रश्न दर्ज है अथवा कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर किसी ऐसे तथ्यात्मक विषय के अग्रेतर विशदीकरण के प्रयोजन के लिये जिसके बारे में उत्तर दिया गया है, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेगा ।"

(तीन) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (2) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(2) किसी अनुपूरक प्रश्न को अध्यक्ष द्वारा नियम के विरुद्ध ठहराया जायेगा यदि उसकी राय में :

(एक) वह मुख्य प्रश्न अथवा उसके उत्तर से उत्पन्न नहीं होता ,

(दो) वह जानकारी मांगने की अपेक्षा, जानकारी देता है ,

(तीन) उसमें एक से अधिक अलग प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं ;

(चार) उससे किसी राय की पुष्टि अथवा अस्वीकृति के बारे में जानकारी मांगी गई है, और

(पांच) वह प्रश्नों के बारे में किसी नियम का उल्लंघन करता है ।"

नियम 55

17 नियम 55 के उपनियम (5) में "संबंधित मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा । जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो उसे किसी तथ्य विषय के अग्रेतर विशदीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ."

शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् —

"जिन सदस्यों ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो वे किसी तथ्य विषय के अग्रेतर विशदीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछ सकेंगे । तत्पश्चात् मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा ,"

नियम 57

18. नियम 57 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"सूचना 57. स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन जिस दिन कि प्रस्ताव करने का विचार हो, 10.00 बजे तक महासचिव को दी जाएगी और उसकी प्रतियां निम्नलिखित को पृष्ठांकित की जाएंगी :—

(1) अध्यक्ष ;

(2) संबंधित मंत्री ;

(3) संसदीय कार्य मंत्री :

परन्तु 10.00 बजे के बाद प्राप्त सूचनाओं को सभा की अगली बैठक के दिन 10.00 बजे प्राप्त हुआ समझा जाएगा ।

परन्तु यह भी कि कोई भी सदस्य किसी एक बैठक के लिए एक से अधिक सूचना नहीं देगा ।

व्याख्या—(एक) जहां किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हों वहां यह समझा जाएगा कि उसे केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिया गया है ।

(दो) किसी बैठक के लिए एक ही विषय पर वैध सभी सूचनाओं को सापेक्ष वरीयता निर्धारित करने के लिए बैलट किया जाएगा।

नियम 58

19. नियम 58 के खंड (तीन) में "विषय" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :—

"जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो,"

नियम 69

2. नियम 69 के उपनियम (2) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां किसी विधेयक में कोई खंड जिसमे व्यय अंतर्गत हो अनजाने मे मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों मे न छापा जाए, विधेयक का भारसाधक सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से ऐसे खंडों को सभा की जानकारी में लाएगा ।"

नियम 72

21. (एक) नियम 72 को उसके उपनियम (1) के रूप मे पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और

(दो) परन्तुकों के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (2) जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"(2) किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करने की सूचना महासचिव को सम्बोधित की जाएगी और उस दिन 10.00 बजे तक दी जाएगी जिस दिन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव कार्यसूची मे शामिल किया गया हो ।"

नियम 74

22. नियम 74 के पहले परन्तुक में "जिसमे संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (क) से (च) मे उल्लिखित विषयों में से किसी के लिए उपबन्ध हो" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :—

"यदि उसमें केवल ऐसे उपबन्ध हों जो संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (क) से (छ) मे उल्लिखित सभी विषयों या उनमें से किसी विषय से संबंधित हों ।"

नियम 75

23. नियम 75 के उपनियम (3) के दूसरे परन्तुक मे "जिसमें संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (क) से (च) मे उल्लिखित विषयों से किसी के लिए उपबन्ध हो" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ; अर्थात्

"यदि उसमे केवल ऐसे उपबन्ध हों जो संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (क) से (छ) मे उल्लिखित सभी विषयों या उनमे से किसी विषय से संबंधित हों ।"

नियम 84

24. नियम 84 मे "प्रस्तुत किए गए" शब्दों के स्थान पर "प्रस्तावित" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

नियम 111

25. नियम 111 मे "प्रस्तुत करने वाले तथा प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जाएगे, अर्थात् :—

"का विरोध करने वाले तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को ।"

नियम 186

26. (एक) नियम 186 का खंड (सात)—यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होगा ।

(दो) नियम 186 में खंड (आठ) के पश्चात् निम्नलिखित नए खंड जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

(नौ) यदि उसमे कोई कथन हो तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा ;

(दस) उसमें गैर सरकारी सदस्य द्वारा सभा पटल पर रखे गये दस्तावेज अथवा पत्र पर चर्चा की मांग नहीं की जाएगी ;

(ग्यारह) सामान्यतया वह किसी संसदीय समिति के विचाराधीन मामलों से संबंधित नहीं होगा ;

(बारह) उसमे राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि सम्बन्धी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जाएगा ;

(तेरह) वह उस विषय से संबंधित नही होगा जो मुख्यतया भारत सरकार का विषय न हो ;

(चौदह) उसमे ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन विषय नही उठाये जायेंगे जो मुख्यतया भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी न हो ;

(पंद्रह) उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नही होगा जिससे मंत्री पदेन संबंधित न हो ;

(सोलह) उसमे किसी मित्र देश के प्रति अविनय पूर्ण निर्देश नही होगा ;

(सत्रह) उसमें ऐसे विषयों के बारे में निर्देश नही किया जाएगा या उनके बारे मे जानकारी प्रकट करने की मांग नहीं की जायेगी जो गोपनीय स्वरूप के हों, जैसे मंत्रिमंडल मे की जाने वाली चर्चाएं या राष्ट्रपति को किसी ऐसे विषय के बारे मे दी गई मंत्रणा जिसके संबंध में जानकारी प्रकट न करने का संवैधानिक, सांविहित रूढ़िगत दायित्व हो ; और

(अठारह) वह किसी तुच्छ विषय मे संबंधित नहीं होगा ।"

नियम 189

27. नियम 189 में, "तुरन्त" शब्द का लोप किया जाएगा।

नियम 190

28. नियम 190 में, "सभा नेता के परामर्श से" शब्दों के पश्चात "या कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर" अन्तःस्थापित किया जाएगा।

नियम 197

29. (एक) नियम 197 के उपनियम (2) की व्याख्या चार में "पांच से कम" शब्दों के स्थान पर "पांच या कम" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(दो) नियम 197 के उपनियम (3) के परन्तुक में, "बैठक की समाप्ति पर अथवा उससे तुरन्त पहले "शब्दों का स्थान पर" ऐसे समय" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

नियम 199

30. (एक) नियम 199 के उपनियम (1) में, "वह" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"उस सत्र के दौरान किसी दिन जिसमें राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया गया हो :

परन्तु यदि राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र ऐसे समय स्वीकार किया जाता है जब सभा का सत्र न हो तो सदस्य सत्र शुरू होने की तारीख से सात दिन के भीतर शीघ्र ही किसी दिन ऐसा वक्तव्य दे सकेगा।"

(दो) नियम 199 के उपनियम (2) में, "उससे" शब्द के पश्चात "कम से कम" शब्द अन: स्थापित किए जाएंगे।

(तीन) नियम 199 के उपनियम (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

नियम 201

31. नियम 201 के उपनियम (2) में, "सिवाय" उस दशा में जबकि वह उसे वापस लेना चाहता हो, प्रस्ताव करने के लिए पुकारे जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा किन्तु" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"जब तक वह यह नहीं कहता है कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पुकारे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, किन्तु इनमें से किसी भी मामले में"।

नियम 218

32. (एक) नियम 218 के उपनियम (2) का लोप किया जाएगा।

(दो) नियम 218 के उपनियम (4) से (6) को क्रमशः उपनियम (2) से (4) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।

(तीन) विद्यमान उपनियम (3) को उपनियम (5) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप नियम (5) में "सभी या किसी प्रकम पर जिसके लिए उप-नियम (2) के अन्तर्गत एक या कई दिन नियत किए हों" शब्दों का लोप किया जाएगा।

नियम 219

33 (एक) नियम 219 के उपनियम (2) में "17.00 बजे" अंकों और शब्द के स्थान पर "विनिर्दिष्ट समय पर" तथा "रखना" शब्द के स्थान पर "रख सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(दो) नियम 219 के उपनियम (2) के परन्तुक में, क्रमशः "उस दिन 16.00 बजे" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विनिर्दिष्ट समय से एक घण्टे पूर्व" शब्द और "17.00 बजे" अंकों और शब्दों के स्थान पर "विनिर्दिष्ट समय पर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(तीन) नियम 219 के उपनियम (3) में, "17.00 बजे" अंकों और शब्द के स्थान पर "विनिर्दिष्ट समय पर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

नियम 223

34. (एक) नियम 223 में, "की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व" शब्दों के स्थान पर "10.00 बजे तक" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

(दो) नियम 233 में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

"परन्तु 10.00 बजे के पश्चात प्राप्त सूचनाओं को सभा की अगली बैठक के दिन 10 00 बजे प्राप्त हुई सूचनाएं समझा जाएगा।"

नियम 257

35. नियम 257 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् — "

257 "समिति से पद त्याग (1) कोई सदस्य निम्नलिखित प्रपत्र में अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा समिति से अपने स्थान का त्याग कर सकेगा।

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,

लोक सभा।

नई दिल्ली।

महोदय,

मैं एतद्द्वारा .....को समिति की सदस्यता से पदत्याग करता हूं जो (दिनांक) .....से प्रभावी होगा।

भवदीय,

स्थान.....दिनांक .. ..(सदस्य का नाम)

(2) यह पदत्याग पत्र में उल्लिखित तिथि से प्रभावी होगा।

(3) यदि त्यागपत्र में पदत्याग के प्रभावी होने की तिथि का उल्लेख नहीं किया है, तो यह पदत्याग, की तिथि से प्रभावी होगा।

(4) यदि त्यागपत्र पर कोई तिथि नहीं है, तो यह पदत्याग लोक सभा सचिवालय में त्यागपत्र की प्राप्ति से प्रभावी होगा।"

नियम 309

36. (एक) नियम 309 के उपनियम (1) में "पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर "22 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से 15 सदस्य" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(दो) इस प्रकार संशोधित नियम 309 के उपनियम (1) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

"और समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा द्वारा उस सभा से सात से अनधिक सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे।"

नियम 312 ख

37. (एक) नियम 312 ख के उपनियम (1) में 'पन्द्रह' से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो शब्दों तथा अंकों के स्थान पर '22 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिनमें से 15 सदस्य' शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(दो) इस प्रकार संशोधित नियम 312ख के उपनियम (1) के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे अर्थात्:—

"और समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा द्वारा उस सभा से सात से अनधिक सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।"

(तीन) नियम 312ख के उपनियम (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

नियम 331ख

38. (एक) 331ख के उपनियम (1) में 'बीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो' में के स्थान पर तीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमे से बीस सदस्य' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(दो) इस प्रकार संशोधित नियम 331ख के उपनियम (1) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे अर्थात्:—

"और समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा उस सभा से दस से अनधिक सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे।"

(तीन) नियम 331ख के उपनियम (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

नियम 349

39. (एक) नियम 349 के खण्ड (नौ) में 'सभा में भाषण दिए जा रहे हों के स्थान पर 'कोई दूसरा सदस्य बोल रहा हो' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(दो) नियम 349 के खण्ड (ग्यारह) का लोप किया जाएगा ।

(तीन) नियम 249 के खण्ड (दस) के पश्चात् निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:

"(ग्यारह) सभा में नारे नहीं लगाएगा ;

(बारह) अध्यक्ष पीठ की ओर पीठ करके नहीं बैठेगा या खड़ा नहीं होगा ;

(तेरह) सभा में अध्यक्ष पीठ के पास स्वयं नहीं जाएगा । यदि आवश्यक हो तो वह पटल अधिकारी को पर्चियां भेज सकता है ;

(चौदह) सभा मे किसी प्रकार के बिल्ले नहीं लगाएगा या प्रदर्शित नहीं करेगा ;

(पंद्रह) सभा मे शस्त्र नहीं लाएगा या प्रदर्शित नहीं करेगा ;

(सोलह) सभा म झंडे, प्रतीक, या कोई प्रदर्शन प्रदर्शित नहीं करेगा।

(सत्रह) अपना भाषण देने के तुरन्त बाद सभा से बाहर नहीं जाएगा।

(अठारह) संसद् भवन के परिसर में ऐसे साहित्य, प्रश्नावली पुस्तिकाओं, प्रेस टिप्पणियों, पर्चों इत्यादि का वितरण नहीं करेगा जो सभा के कार्य से संबंधित न हो ;

(उन्नीस) सभा में डेस्क पर अपना हैट/टोपी नहीं रखेगा, फाइलें रखने या लेखन कार्य के लिए सदन में फलक नहीं लाएगा, सभा में धूम्रपान नहीं करेगा या बांह पर कोट लटकाकर सभा में प्रवेश नहीं करेगा ;

(बीस) जब तक स्वास्थ्य के आधार पर अध्यक्ष से अनुमति न दी गई हो, सभा भवन में छड़ी नहीं लाएगा ;

(इक्कीस) सभा में अभ्यापत्ति पूर्वक दस्तावेजों को नहीं फाड़ेगा ;

(बाइस) सभा में कैसेट या टेप रिकार्डर नहीं लाएगा या बजाएगा ;

(तेईस) लाबी में इतनी जोर से बात नहीं करेगा अथवा हुर्रेगा जो सभा में सुनाई दे ।

नियम 352

40. (एक) नियम 352 के खंड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(दो) सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा जब तक कि ऐसा निर्देश विचाराधीन प्रश्न या सुसंगत होने के कारण वाद-विवाद के प्रयोजनों के लिए अनिवार्यतः आवश्यक न हो ।"

(दो) नियम 352 के खंड (सात) में "और" शब्द का लोप किये जाएगा ।

(तीन) नियम 352 के खंड (आठ) के पश्चात् निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

(नौ) किसी भी दीर्घा में बैठे हुए अजनबियों के प्रति कोई निर्देश नहीं करेगा ;

(दस) सरकारी अधिकारियों का नाम लेकर उल्लेख नहीं करेगा ;

(ग्यारह) अध्यक्ष-पीठ की पूर्व अनुमति के बिना लिखित भाषण नहीं पढ़ेगा ।

नियम 353

41. नियम 353 में "पूर्व सूचना" के स्थान पर 'यथोचित अग्रिम सूचना" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

नियम 367

42. नियम 367 के उपनियम (3) के खंड (ख) में "दो मिनट" के स्थान पर "तीन मिनट और तीस सैकंड" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

नियम 377

43 नियम 377क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

377. "ऐसा विषय उठाना जो औचित्य प्रश्न न हो. जो सदस्य सभा की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह उठाए जाने वाले विषय के पाठ की सूचना स्पष्ट तथा सही रूप से लिखित रूप में महासचिव को देगा । सदस्य को ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिए जाने के बाद ही नया ऐसे समय और तिथि के लिए दी जाएगी जो अध्यक्ष निश्चित करे ।"

44 नए नियम 377क, 377ख और 377ग

44. सूचनाओं की शर्तें. नियम 377क के पश्चात् निम्नलिखित नए नियम अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

377क. सूचना को ग्राह्य बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

(एक) वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा, जो मुख्यतया भारत सरकार से संबंधित नहीं है ;

(दो) वह उस विषय के संबंध में नहीं होगा जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो अथवा सत्र के दौरान इस नियम के अंतर्गत सदस्य द्वारा पहले उठाए गए विषय के समान हो ;

(तीन) उसमें 250 से अधिक शब्द नहीं होंगे ;

(चार) उसमें एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाए जायेंगे ;

(पांच) उसमें प्रतर्क, अनुमान व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे, और

(छ) उसमें संसदीय/सलाहकार समिति की कार्यवाही वृत्तांतों का उल्लेख नहीं किया जायेगा ।

377-ख—सूचनाएं देने के लिए समय और उनकी वैधता एक.—सप्ताह दौरान पहली बैठक प्रारंभ होने के समय से सप्ताह के अंतिम दिन जब सभा की बैठक हो, 10 00 बजे तक प्राप्त होने वाली सूचनायें उस सप्ताह के लिये वैध होंगी ।

(दो) सप्ताह के अंतिम दिन, जिस दिन सभा की बैठक हो, 10 00 बजे के बाद प्राप्त होने वाली सूचनायें अगले सप्ताह के लिये वैध होंगी । उस दिन 10 00 बजे के बाद तथा 10.30 बजे तक प्राप्त सूचना उसी समय दी गई सूचनायें समझी जायेंगी तथा सदस्यों की पारस्परिक प्राथमिकता निश्चित करने के लिये इनका बैलेट किया जायेगा । बाद में प्राप्त होने वाली सूचनायें उनके प्राप्त होने की तिथि तथा समय के अनुसार क्रमबद्ध की जायेंगी ।

(तीन) उस सप्ताह के दौरान जिनके लिये उन्हें दिया गया है, न चुनी गई सूचनायें, सप्ताह के अंत में व्यपगत हो जायेंगी;

परन्तु अध्यक्ष के आदेश के अधीन सभा के लिये निर्दिष्ट कोई सूचना उसके अंतिम रूप से निपटाये जाने तक व्यपगत नहीं होगी ।

377ग. विषय उठाने पर प्रतिबंध.—(एक) कोई भी सदस्य सप्ताह के दौरान एक से अधिक विषय नहीं उठायेगा,

(दो) केवल अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पाठ ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जायेगा ।

चौथी अनुसूची

45 लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (छठा संस्करण) की चौथी अनुसूची में .—

1. भाग 1 में,

(ए) प्रविष्टि दो में "औद्योगिक" से पूर्व "भारतीय" शब्द अन्तःस्थापित किया जायेगा ।

(बी) प्रविष्टि तीन में "कारपोरेशन" शब्द का लोप किया जायेगा ।

(तीन) प्रविष्टि चार में "इंटरनेशनल" शब्द का लोप किया जायेगा ।

(चार) प्रविष्टि पांच में "जीवन" से पूर्व "भारतीय" शब्द अन्तःस्थापित किया जायेगा ।

(पांच) प्रविष्टि 11 का लोप किया जायेगा ।

(छ) प्रविष्टि 12 को "11" के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा ।

2 भाग 3 में,

(ए) प्रविष्टि एक में "एयरक्राफ्ट" शब्द के स्थान पर "एयरोनोटिक्स" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(बी) प्रविष्टि चार में, "वर्कशाप" शब्द के स्थान पर "शिपबिल्डर्स" एण्ड "इंजीनियर्स" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

सुभाष काश्यप,

महासचिव ।"

"No. 2930

Amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixth Edition)

In pursuance of sub-rule (3) of rule 331 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixth Edition), the following amendments approved by Lok Sabha to the said Rules are hereby published :—

Rule 2

1. (i) In sub-rule (1) of rule 2, in the definition of the term "Minister", after the word "Ministers", the words "and includes a member of the Cabinet", shall be inserted;

(ii) In sub-rule (1) of rule 2, after the definination of the term "Minister", the following Explanation shall be added at the end namely :—

"Explanation:—A Parliamentary Secretary who is not a member of the House, is not entitled to attend its sitting."

Rule 7

2. For sub-rule (3) of 7, the following shall be substituted, namely :—

"(3) A member in whose name a motion stands on the list of business shall, unless he states that he does not wish to move the motion, move the motion when called upon to do so. In either case he shall continue himself to a mere statement to the effect that he moves the motion or that he does not intend to move the motion."

Rule 8

3. For sub-rule (3) of rule 8, the following shall be substituted, namely :—

"(3) A member in whose name a motion stands on the list of business shall unless he states **that he doe not wish to** move the motion, move the motion when called upon to do so. In either case he shall confine himself to a mere statement to the effect that he moves the motion or that he does not intend to move the motion."

Rule 12

4. For rule 12, the following shall be substituted, namely :—

12. "Commencement and conclusion of sitting.—Unless the Speaker otherwise directs, sitting of the House on any day shall ordinarily commence at 11.00 hours and conclude at 18.00 hours with a lunch break for one hour which may ordinarily be from 13.00 hours to 14.00 hours."

Rule 14

5. (i) Rule 14 **shall be omitted.**

Rule 15

6. (i) Rule 15 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and

(ii) the following sub rule (2) shall be added after the proviso, namely :—

"(2) In case the House, after being adjourned is reconvened under proviso to sub-rule (1), the Secretary-General shall communicate to each member the date, time, place and duration of the next part of the session.;"

(iii) In the marginal heading the words "and procedure for reconvening" shall be added at the end.

Rule 20

(i) Rule 20 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and

(ii) the following sub-rule (2) shall be added, namely :—

"(2) The mover or the seconder shall not have any right of reply after the Prime Minister or any other Minister has explained the position of the Government at the end of the discussion."

(iii) For the marginal heading the following marginal heading shall be substituted, namely :

"Right of reply"

Rule 27

8. After the second proviso to sub-rule (2) of rule 27, the following further proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that where the Committee on Private Members' Bills and Resolutions has classified the Bills falling under clause (h) of sub-rule (1) as category A and number thereof is twenty or more, ballot of category B Bills, may not be held".

Rule 28

9. For rule 28, the following shall be substituted, namely :—

"28. "Precedence of private members' resolutions—A ballot of names of members desiring to move a resolution shall be held in accordance with orders made by the Speaker, on such day as the Speaker may direct".

Rule 34

10. (i) In sub-rule (1) of rule 34, before clause the following shall be inserted, namely:—

"(a) the text of the question;"

(ii) Existing clauses (a) and (b) shall be relettered **as (b) and (c) respectively.**

(iii)) In clause (b) so relettered the word 'and' shall be omitted.

(iv) For clause (c) so relettered, the following shall be substituted, namely :—

"(c) the date on which answer to the question is desired, and"

(v) To sub-rule (1) of rule 34, the following new clause (d) shall be added namely:—

"(d) the order of preference if any, for its being placed on the list of questions, where a member tables more than one notice of questions for the same day"

Rule 37

11. (i) In sub-rule (1) of rule 37, after the words 'distinguished by' the word 'an' shall be inserted.

(ii) For sub-rule (2) of rule 37 the following shall be substituted, namely :—

"(2) Unless the Speaker otherwise directs, where a member has given more than one notice of questions distinguished by an asterik for same day, his question for the list of questions for oral answer shall be selected in the order indicated by the member and if no such order is indicated, any of these questions shall be placed on the list of questions for oral answer in the order in which notices are received in point of time."

Rule 39

12. (i) In sub-rule (1) of rule 39, after the words "answering questions on that day", the words "or if called for answer the member in whose name it stands is absent", shall be inserted.

(ii) For sub-rules (2) and (3) of rule 39, the following shall be substituted, namely :—

"(2) If there is no Question Hour owing to the cancellation of a sitting or its adjournment without transacting any business, the answers to questions included in the lists of questions for oral as well as written answer shall be deemed to have been laid on the Table by the Ministers to whom such questions are addressed at the next sitting of the House after the Question Hour and form part of the proceedings of that day.

(3) If the Question Hour on any day is dispensed with or suspended to devote more time on any other business or for any other reason, the answers to questions included in the list of questions for oral as well as written answers for that day shall be deemed to have been laid on the Table by the

Ministers to whom such questions are addressed and shall form part of the proceedings of the day.

Provided that if the House does not continue with its sitting after dispensing with or suspending the Question Hour the answers to question included in the lists of questions for oral as well as written answer for that day shall be deemed to have been laid on the Table after the Question Hour at the next sitting of the House and shall form part of the proceedings of that day :

Provided further that if the Question Hour is interrupted after having taken up the list of questions for oral answer and the list is partly disposed of and the sitting continues, answer to remaining questions in the list of questions for oral answers and answers to questions in the list of questions for wirtten answer shall be deemed to have been laid on the Table after 12 O'Clock and form part of the proceedings of the day."

(iii) To rule 39 the following new sub-rule (4) shall be added, namely :—

"(4) If the last sitting of a session is concelled, the questions in the lists of questions for oral as well as written answer for that day shall lapse."

Rule 41

13. (i) In sub-rule (2) of rule 41, bofore the clause (i) the following shall be inserted, namely :—

"(i) it shall be clearly and precisely expressed and shall not be too general incapable of any specific answer or in the nature of a leading question;"

(ii) After clause (i) so inserted existing clauses (i) to (xxii) shall be renumbered accordingly.

(iii) In clause (xix) so renumbered, for the word "connected" the word "concerned" shall be substituted.

(iv) For clause (xxi) so renumbered, the following shall be substituted, namely :—

"(xxi) it shall not seek information about matters which are in their nature secret, such as composition of Cabinet Committees, Cabinet discussions, or advice given to the President in relation to any matter in respect of which there is a constitutional statutory or conventional obligation not to disclose information."

Rule 45

14. For rule 45, the following shall be substituted, namely :—

45. *"Limit of number of unstarred questions".* (1) Questions which have been admitted and not included in the list of questions for oral answer shall be included in the list of questions for written answer, in accordance with the orders of the Speaker.

(2) In the list of questions for written answer on any one day, not more than four questions by the same member if he has one question in the list of questions for oral answer, and not more than five questions if he has none in the list of questions for oral answer, and not more than 230 questions in all shall be included.

Provided that these limits may be exceeded by the number of questions transferred or postponed from one list of questions for written answer to another:

Provided further that the overall limit of 230 questions in the list of questions for written answer on any one day may exceed by the number of questions pertaining to a State or States under President's Rule subject to the maximum limit of 25."

Rule 48

15. In sub-rule (3) of rule 48, for the word 'or', the word 'as' shall be substituted.

Rule 50

16. In rule 50,—

(i) sub-rule (1) shall be re-numbered as sub-rule (3).

(ii) Sub-rule (2) shall be renumbered as sub-rule (1) and for sub-rule (1) so renumbered, the following shall be substituted, namely :—

"(1) the member in whose name a question is listed for oral answer, or any other member, when called by the Speaker, may ask a supplementary question for the purpose of further elucidating any matter of fact regarding which an answer has been given."

(iii) After sub-rule (1) the following sub-rule (2) shall be inserted, namely :—

"(2) a supplementary question shall be held out of order by the Speaker if, in his opinion:

(i) it does not arise from the main question or its answer;

(ii) instead of seeking information, it gives information:

(iii) it involves more than one separate issues;

(iv) it seeks confirmation or denial of an opinion; and

(v) it infringes any of the rules regarding questions."

Rule 55

17. In sub-rule (5) of rule 55, for the words "Minister concerned shall reply shortly. Any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to ask a question for the purpose of further elucidating any matter of fact" the following words shall be substituted, namely:—

"Members who have previously intimated to the Speaker may ask a question for the purpose of further elucidating any matter of fact. Thereafter, the Minister shall reply shortly;"

Rule 57

18. For rule 57, the following shall be substituted, namely:—

57. Notice.—Notice of an adjournment motion shall be given by 10.00 hours on the day on which the motion is proposed to be made to the Secretary-General and copies thereof shall be endorsed to:—

(i) the Speaker;

(ii) the Minister concerned;

(ii) the Minister of Parliamentary Affairs;

Provided that notices received after 10.00 hours, shall be deemed to have been received at 10.00 hours on the next day on which the the House sits.

Provided further that no member shall give more than one such notice for any one sitting.

Explanation:—(i) Where a notice is signed by more than one member, it shall be deemed to have been given by the first signatory only.

(ii) A ballot shall be held to determine the relative priority of all notices on the same subject for the sitting for which they are valid."

Rule 58

19. In clause (iii) of rule 58, the following words shall be added at the end, namely :—

"involving responsibility of the Government of India."

Rule 69

20. For proviso to sub-rule (2) of rule 69, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that where a clause in a Bill involving expenditure is inadvertently not printed in thick type or in italics, the member in charge of the Bill shall, with the permission of the Speaker, bring such clauses to the notice of the House."

Rule 72

21. (i) Rule 72 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and

(ii) the following sub-rule (2) shall be added after the provisos, namely —

"(2) Notice to oppose introduction of a Bill shall be addressed to the Secretary-General and given by 10.00 hours on the day on which the motion for leave to introduce the Bill is included in the list of business."

Rule 74

22. In first proviso to rule 74, for the words "making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 of the Constitution" the following shall be substituted, namely:—

"if it contains only provisions dealing with al or any of the matters specified in sub-clauses (a) to (g) of clause (1) of article 110 of the Constitution."

Rule 75

23. In second proviso to sub-rule (3) of rule 75, for the words, "making provisions for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 of the Constitution," the following shall be substituted, namely :—

"if it contains only provisions dealing with all or any of the matters specified in sub-clauses (a) to (g) of clause (1) of article 110 of the Constitution."

Rule 84

24. In rule 84, for the word "moved", the word "proposed" shall be substituted.

Rule 111

25. In rule 111, for the words "moves and the member who opposes", the following shall be substituted, namely :—

"opposes the motion and the member who moved."

Rule 186

26. (i) In clause (vii) of rule 186, the word 'and' shall be omitted.

(ii) In rule 186, after clause (viii), the following new clauses shall be added, namely—

(ix) if it contains a statement the member shall make himself responsible for the accuracy of the statement;

(x) it shall not seek discussion on a paper or document laid on the Table by a private member;

(xi) it shall not ordinarily relate to matters which are under consideration of a Parliamentary Committee;

(xii) it shall not ask for an expression of opinion or the solution of an abstract legal question or of a hypothetical proposition;

(xiii) it shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the Government of India ;

(xiv) it shall not raise matter under the control of bodies of persons not primarily responsible to the Government of India;

(xv) it shall not relate to a matter with which a Minister is not officially concerned;

(xvi) it shall not refer discourteously to a friendly foreign country;

(xvii) it shall not refer to or seek disclosure of information about matters which are in their nature secret such as Cabinet discussions or advice given to the President in relation to any matter in respect of which there is a constitutional, statutory or conventional obligation not to disclose information; and

(xviii) it shall not relate to a trivial matter."

Rule 189

27. In rule 189, the word "immediately" shall be omitted.

Rule 190

28. In rule 190, after the words "the Leader of the House", the words "or on the recommendation of the Business Advisory Committee," shall be inserted.

Rule 197

29. (i) In explanation (iv) to sub-rule (2) of rule 197 for the words "less than five" the words "five or less" shall be substituted.

(ii) In proviso to sub-rule (3) of rule 197, for the words "or immediately before the end of the sitting", the words such time" shall be substituted.

Rule 199

30. (i) At the end of sub-rule (1) of rule 199, the following shall be added, namely —

"On any day during the session in which the resignation has been accepted by the President.

Provided that a member may make such a statement at the earlier opportunity on a day not being more than seven days from the date of commencement of the session if the resignation was accepted by the President when the House was not in session."

(ii) In sub-rule (2) of rule 199, after the word 'House', the words 'at least' shall be inserted.

(iii) Proviso to sub-rule (2) of rule 199, shall be omitted.

Rule 201

31. In sub-rule (2) of rule 201, for the words 'except when he wishes to withdraw it, move the motion when called upon to do so, but', the following words shall be substituted, namely:—

"Unless he states that he does not intend to move the motion, move the motion who called upon to do so, but in either case"

Rule 218

32. (i) Sub-rule (2) 218, shall be omitted.

(ii) Sub-rules (4) to (6) of rule 218 shall be renumbered as sub-rules (2) to (4) respectively.

(iii) Existing sub-rule (3) shall be renumbered as sub-rule (5) and in sub-rule (5) so renumbered, the words "at all or any of the stages for which a day or days have been allotted under sub-rule (2)" shall be omitted.

Rule 219

33. (i) In sub-rule (2) of rule 219, for the words and figures, "shall, at 17.00 hours", the words, "may, at the specified hour", shall be substituted.

(ii) In proviso to sub-rule (2) of rule 219, for the words and figures, 'at 16.00 hours on that day'; the words, "an hour before the specified hour" and for the word and figure '17.00 hours', the words 'the specified hour', shall be substituted respectively.

(iii) In sub-rule (3) of rule 219, for the word and figure '17.00 hours', the words 'the specified hour', shall be substituted.

Rule 223

34. (i) In rule 223, for the words "before the commencement of the sitting", the words and figures "by 10.00 hours" shall be substituted.

(ii) To rule 223, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that notices received after 10 00 hours shall be deemed to have been received at 10 00 hours on the next day on which the House sits."

Rule 257

35. For rule 257, the following shall be substituted, namely :—

"257. "Resignation from Committee.—(1) A member may resign his seat from a Committee by writing under his hand, addressed to the Speaker, in the following form :

'To

The Speaker,

Lok Sabha,

New Delhi.

Sir,

I hereby tender my resignation from the membership of the Committee on ..... with effect from .....

Yours faithfully,

Place ..... Date ..... (Name of the Member)

(2) The resignation shall take effect from the date of resignation specified in the latter of resignation.

(3) If the date from which the resignation should take effect is not specified in the letter, the resignation shall take effect from the date of the letter

(4) If the letter of resignation does not bear any date, the resignation shall take effect from the date of receipt of the letter in the Lok Sabha Secretariat"

Rule 309

36. (i) In sub-rule (1) of rule 309, for the words 'fifteen members', the words and figures '22 members comprising 15 members' shall be substituted.

(ii) In sub-rule (1) of rule 309, so amended, the following words shall be added at the end, namely :—

"and not more than 7 members of Rajya Sabha to be nominated by that House for being associated with the Committee :"

Rule 312B

37. (i) In sub-rule (1) of rule 312B, for the words 'fifteen members', the words and figures '22 members comprising 15 members' shall be substituted.

(ii) In sub-rule (1) of rule 312B, so amended, the following words shall be added at the end, namely :—

"and not more than 7 members of Rajya Sabha to be nominated by that House for being associated with the Committee :"

(iii) Proviso to sub-rule (2) of rule 312B, shall be omitted.

Rule 331B

38 (i) In sub-rule (1) of Rule 331B, for the words 'twenty members', the words ; and figures '30 members, comprising 20 members' shall be substituted.

(ii) In sub-rule (1) of rule 331B, so amended, the following words shall be added at the end, namely :—

"and not more than 10 members of Rajya Sabha to be nominated by that House for being associated with the Committee :'

(iii) Proviso to sub-rule (2) of rule 331B shall be omitted.

Rule 349

39. (i) In clause (ix) of rule 349, for the words 'Speeches are being made in the House,' the words 'another member is speaking' shall be substituted.

(ii) Clause (xi) of rule 349 shall be omitted.

(iii) After clause (x) of rule 349, the following new clauses shall be added, namely :—

"(xi) shall not shout slogans in the House;

(xii) shall not sit or stand with his back towards the Chair;

(xiii) shall not approach the Chair personally in the House. He may send chits to the officers at the Table, if necessary.

(xiv) shall not wear or display badges of any kind in the House;

(xv) shall not bring or display arms in the House;

(xvi) shall not display flags, embles or any exhibits in the House;

(xvii) shall not leave the House immediately after delivering his speech;

(xviii) shall not distribute within the precincts of Parliament House any literature, questionnaire, pamphlets, press notes, leaflets etc. not connected with the business of the House;

(xix) shall not place his hat/cap on the desk in the House, bring boards in the Chamber for keeping files or for writing purposes, smoke or enter the House with his coat hanging on the arms;

(xx) shall not carry walking stick into the House unless permitted by the Speaker on health grounds;

(xxi) shall not tear off documents in the House in protest,

(xxii) shall not bring or play cassette or tape recorder in the House;

(xxiii) shall avoid talking or laughing in Lobby loud enough to be heard in the House."

Rule 352

40. (i) For clause (ii) of rule 352, the following shall be substituted, namely :—

"(ii) make personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the bona fides of any other member of the House unless it be imperatively necessary for the purpose of the debate being itself a matter in issue or relevant thereto."

(ii) In clause (vii) of rule 352, the word 'and" shall be omitted.

(iii) After clause (viii) of rule 352, the following new clauses shall be added, namely :—

"(ix) make any reference to the strangers in any of the galleries;

(x) refer to Government officials by name; and

(xi) read a written speech except with the previous permission of the Chair."

Rule 353

41. In rule 353, for the words 'previous intimation', the words 'adequate advance notice' shall be substituted.

Rule 367

42. In clause (b) of sub-rule (3) of rule 367, for the words "two minutes", the words "three minutes and thirty seconds", shall be substituted.

Rule 377

43. For rule 377, the following shall be substituted, namely : -

377. "Raising a matter which is not a point of order.—A member who wishes to bring to the notice of the House a matter which is not a point of order, shall give notice in writing to the Secretary-General specifying clearly and precisely the text of the matter to be raised. The member shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix."

New rules 377A, 377B and 377C.

44. After rule 377, the following new rules shall be inserted, namely : -

377A. Conditions of admissibility.—In order that a notice may be admissible it shall satisfy the following conditions :—

(i) it shall not refer to a matter which is not primarily the concern of the Government of India;

(ii) it shall not relate to a matter which has been discussed in the same session or which is substantially identical to the matter already raised by a member under this rule during the session;

(iii) it shall not exceed 250 words;

(iv) it shall not raise more than one issue;

(v) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations, epithets or defamatory statements; and

(vi) it shall not refer to proceedings of a parliamentary|consultative committee.

377B. Time for tabling notices and their validity.—(1) Notices received during a week commencing from its first sitting till 10.00 hours on the last day of the week on which the House sits shall be valid for that week.

(2) Notices received after 10.00 hours on the last day of the week on which the House sits shall be valid for the next week. Notices received after 10.00 hours and upto 10.30 hours on that day shall be deemed to have been received at the same point of time and these shall be balloted to determine the inter se priority of members. Notices received subsequently shall be arranged in accordance with the date and time of their receipt.

(3) Notices not selected during the week for which they have been tabled, shall lapse at the end of the week :

Provided that a notice referred for facts under, order of the Speaker shall not lapse till it is finally disposed of.

377C. Restrictions on raising matters.—(1) No member shall raise more than one matter during a week.

(2) Only the text approved by the Speaker shall go on record."

Fourth Schedule

45. In the Fourth Schedule to the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (6th Edition) :

(I) In Part I,

(i) in entry 2, the words 'of India' shall be added at the end.

(ii) in entry 3, the word 'Corporation' shall be omitted,

(iii) in entry 4, the word, 'International' shall be omitted.

(iv) in entry 5, the words 'of India' shall be added at the end.

(v) entry 11 shall be omitted.

(vi) entry 12 shall be re-numbered as '11'.

(II) In Part III,

(i) in entry 1, for the word, 'Aircraft', the word 'Aeronautics', shall be substituted.

(ii) in entry 4, for the word, 'Workshop', the words 'Ship builders and Engineers' shall be substituted.

SUBHASH C. KASHYAP, Secretary-General."

सं. 46/1सी. एक/89–10 मई, 1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा एतद्द्वारा सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :—

"संख्या 2931

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (तीसरा संस्करण) के अधीन अध्यक्ष के निदेशों में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (छठा संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण में अध्यक्ष ने निदेशों में निम्नलिखित संशोधन किये हैं :—

निदेश 2

1. निदेश 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

2. यदि किसी विशिष्ट अवसर पर अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे, तो सभा के समक्ष कार्य के निम्न निर्दिष्ट वर्गों की सापेक्ष निम्नलिखित क्रम में होगी, अर्थात् :—

(एक) शपथ या प्रतिज्ञान।

(दो) संसद की दोनों सभाओं में राष्ट्रपति के अभिभाषण का रखा जाना।

(तीन) मंत्रियों का परिचय।

(चार) निधन संबंधी उल्लेख।

(पांच) प्रश्न (अल्प सूचना प्रश्नों समेत)

(छः) सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति।

(सात) विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न।

(आठ) सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

(नौ) राष्ट्रपति के संदेश सुनाना।

(दस) राज्य सभा के संदेश सुनाना।

(ग्यारह) विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना।

(बारह) सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी अथवा नजरबन्दी अथवा रिहाई के बारे में मजिस्ट्रेटों अथवा अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाएं।

(तेरह) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घोषणा।

(चौदह) सभा के सदस्यों के पदत्याग, सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना, सभापति तालिका, समितियों, आदि में नाम-निर्देशन आदि विविध विषयों के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं।

(पन्द्रह) अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय।

(सोलह) समितियों के प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना, उनकी बैठकों के कार्यवाही-सारांश आदि का रखा जाना।

(सत्रह) विधेयकों सम्बन्धी प्रवर/संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का रखा जाना।

(अठारह) याचिकाओं का प्रस्तुत किया जाना।

(उन्नीस) मंत्रियों द्वारा वक्तव्य।

(बीस) समितियों के लिए निर्वाचन के प्रस्ताव।

(इक्कीस) समितियों के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाये जाने के प्रस्ताव।

(बाईस) ध्यानाकर्षण सूचनाएं।

(तेईस) अपने पदत्याग के स्पष्टीकरण में भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा व्यक्तिगत वक्तव्य।

(चौबीस) नियम 115 के अधीन वक्तव्य।

(पच्चीस) नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण (यदि वाद-विवाद के दौरान न किया गया हो)।

(छब्बीस) कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदनों को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव।

(सत्ताईस) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव।

(अट्ठाईस) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव।

(उनतीस) मंत्री परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव।

(तीस) रेल बजट/राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य के बजट का प्रस्तुत किया जाना।

(इकतीस) अनुपूरक/अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य, रेल और राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य के संबंध में) का प्रस्तुत किया जाना।

(बत्तीस) वापस लिए जाने वाले विधेयक

(तैंतीस) पुनःस्थापित किए जाने वाले विधेयक।

(चौंतीस) अध्यादेशों द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारणों को बताने वाले व्याख्यात्मक वक्तव्यों का रखा जाना।

(पैंतीस) नियम 377 के अधीन ऐसे मामले उठाना जो औचित्य प्रश्न नहीं है।

(छत्तीस) विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार।

निदेश 8

2 निदेश के खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :—

"(1) बैलट का परिणाम समाचार भाग-2 में प्रकाशित होने के बाद गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के बैलट के प्रथम बीस विधेयकों के संबंध में अगला प्रस्तावों की सूचना संबंधित सदस्यों द्वारा समाचार में निर्धारित तारीख तक देनी होगी ताकि उनके विधेयक कार्यसूची में सम्मिलित किये जा सकें।

निदेश 10

3 निदेश 10 के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु मौखिक उत्तर के लिये प्रश्नों की सूची में रखे जा रहे ऐसे समेकित प्रश्न के मामले में पूर्ववर्तिता के क्रम में निर्धारित दो से अनधिक सदस्यों के नाम ऐसे प्रश्न के सामने नहीं दिखाये जायेंगे और इनसे अधिक सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया जायगा।

परन्तु यह और कि लिखित उत्तरों के लिये प्रश्नों की सूची में रखे जा रहे ऐसे किसी समेकित प्रश्न के सामने में, सभी संबंधित सदस्यों के नाम पूर्ववर्तिता के क्रम में एक कोष्ठक में दिखाये जायेंगे।"

नया निदेश 10क

4 निदेश 10 के पश्चात निम्नलिखित नया निदेश 10क अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात :—

10क "प्रश्नों की ग्राह्यता—नियम 41 में उल्लिखित ग्राह्यता की शर्तों के अतिरिक्त प्रश्न निम्न किसी भी कारण के आधार पर अग्राह्य होगा :—

(i) यदि अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो कि उसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है;

(दो) यदि वह किसी लेख, भाषण अथवा सार्वजनिक भाषण में व्यक्त किसी व्यक्ति की राय पर आधारित हो;

(तीन) यदि उसमे ऐसे मामलो की बाबत जानकारी मांगी गई हो जिनसे विखण्डनवादी और अलगाववादी प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन मिलता हो और देश की एकता और अखण्डता कमजोर होती हो;

(चार) यदि किसी ऐसे मामले पर जोर दिया जा रहा हो, जिसके बारे मे पहले ही सदस्य और मंत्री अथवा मंत्रालय के बीच पत्र-व्यवहार चल रहा हो;

(पांच) यदि उसमे किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तिगत संस्था या कम्पनी के बारे में जानकारी मांगी गई हो,

(छ) यदि उसमें सेवा संबंधी ऐसी शिकायतों को दूर करने की मांग हो, जिसके लिये संस्थागत साधन पहले ही विद्यमान है;

(सात) यदि वह दिन-प्रति-दिन के प्रशासन से संबंधित हो अथवा उसमें किसी एक अथवा कुछ व्यक्तियों के हितों का संवर्धन होता हो;

(आठ) यदि वह किसी ऐसे मामले में संबंधित हो जो मुख्य रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, न्यायालयों और ऐसी अन्य संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में आता हो;

(नौ) यदि वह प्राप्त हुई किन्हीं याचिकाओं और ज्ञापनों अथवा मंत्रियो द्वारा दिये गये सार्वजनिक भाषणों से सम्बन्धित हो ,

(दस) यदि उसमें किसी ऐसे मामले पर जानकारी मांगी गई हो, जो जांचकर्ता एजेंसी के समक्ष लम्बित हो और उसके प्रकटन से जांच कार्य पर प्रभाव पड़ सकता हो;

(ग्यारह) यदि वह किसी ऐसे मामले से संबंधित हो, जिस पर किसी अन्य देश की सरकार के साथ बातचीत चल रही हो और उसके प्रकटन से राष्ट्र के अहित में बातचीत प्रभावित होती हो;

(बारह) यदि वह अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले किसी मामले से संबंधित हो ।"

निदेश 15

5 निदेश 15 में, "पूछा न जाये अथवा" शब्दों के स्थान पर "पूछा न जाए क्योंकि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

निदेश 16

6. निदेश 16 में,--

(क) "या वाद विवाद में" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ख) हाशिये में दिए गए शीर्षक में "या विवाद में वक्तव्यों" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

निदेश 47क

7. निदेश 47क के उपखण्ड (1) के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे, अर्थात् :--

"और अंत में मंत्री उस पर स्पष्टीकरण के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देगा ।"

निदेश 48क

8. निदेश 48 के पश्चात निम्नलिखित नया निदेश 48क अंत: स्थापित किया जायगा, अर्थात् :--

48क. "समितियों के लिए निर्वाचन की रीति--संसदीय समितियों के लिए निर्वाचन अध्यक्ष द्वारा समितियो के निर्वाचन के लिए बनाये गये विनियमों के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किये जायेंगे ।"

निदेश 96क

9. निदेश 96क का लोप किया जाएगा ।

निदेश 100

10 निदेश 100 में, "जब प्राक्कलन/लोक लेखा/सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति" शब्दों के स्थान पर "जब प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति का सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

निदेश 102

11. निदेश 102 में,--

(क) हाशिये में दिये गए शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति अथवा सरकार संबंधी समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही ।"

(ख) निदेश 102 के खण्ड (1) में, "प्राक्कलन समिति" शब्दों के बाद "या लोक लेखा समिति" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

(ग) निदेश 102 के खण्ड (2) में, "तत्पश्चात समिति" से आरम्भ होने वाले और "समिति को भी स्वीकार्य न हो" से अंत होने वाले शब्दो के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

तत्पश्चात् समिति उसके द्वारा की गई मूल सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे मे सभा में और प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। प्रतिवेदन में निम्नलिखित पांच अध्याय होंगे :--

(एक) प्रतिवेदन;

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को ध्यान मे रखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती;

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए है; और

(पांच) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अन्तिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।"

(घ) खण्ड (2) के पश्चात निम्नलिखित नया खण्ड (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

(3) सरकार, प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात यथाशिघ्र प्रतिवेदन के अध्याय एक अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में अंतिम उत्तरों के विवरण प्रस्तुत करेगी । इस प्रकार प्राप्त हुए उत्तरों को एक विवरण के रूप में समेकित किया जाएगा और सभापति के अनुमोदन के पश्चात् सभा पटल पर रखा जायेगा ।

निदेश 113

12. निदेश 113 के अन्त: में, "सूची में" शब्दों के पश्चात "अथवा अगले सप्ताह के सरकारी कार्य के बारे में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

नया निदेश 113ख

13. निदेश 113क के पश्चात निम्नलिखित नया निदेश 113ख अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"नियम 184 के अधीन या नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा पर प्रस्तावों के लिए सूचना देने की प्रक्रिया।

113ख (1) नियम 184 के अधीन प्रस्तावों तथा नियम 193 के अन्तर्गत अल्पकालिक चर्चाओं के लिए सूचनाएं पत्र के लिए आमंत्रण जारी करने की तारीख के अगले दिन से स्वीकार की जायेंगी।

(2) सभा में मंत्रियों द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्यों अथवा सभा पटल पर रखे जाने वाले विवरणों, प्रतिवेदनों अथवा पत्रों के बारे में ऐसी सूचनाएं उस दिन 10.00 बजे से ली जाएंगी, जिस दिन वह कार्य सूची, जिसमें उस मद को शामिल किया गया है, सदस्यों को परिचालित की जाती है।

(3) उस दशा में, जहां किसी वक्तव्य के बारे में अनुपूरक कार्य सूची सभा में परिचालित की जाती है, वहां उस वक्तव्य की बाबत कार्य सूची के परिचालन के 15 मिनट के भीतर प्राप्त हुई सूचनाओं के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उसी समय प्राप्त हुई हैं और उनकी सापेक्ष पूर्ववर्तिता बैलट द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(4) उस दशा में, जहां सभा में किसी मंत्री द्वारा दिये जाने वाले किसी वक्तव्य के बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई घोषणा की जाती है, वहां उस वक्तव्य की बाबत सूचनाएं उसी समय स्वीकार की जाएंगी जिस समय पीठासीन अधिकारी द्वारा सभा में घोषणा की जाती है।

(5) उस दशा में, जहां कोई वक्तव्य कार्य सूची अथवा अनुपूरक कार्यसूची में शामिल किए बिना दिया जाता है, वहां ऐसे वक्तव्य की बाबत सूचनाएं उस समय से स्वीकार की जाएंगी जब वक्तव्य सभा में वास्तव में दिया जाता है।

(6) खण्ड (4) और (5) के अधीन क्रमश: पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणा अथवा मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बाद 15 मिनट के भीतर प्राप्त हुई सभी सूचनाओं को एक ही समय पर प्राप्त हुआ समझा जाएगा और उनकी सापेक्ष पूर्ववर्तिता बैलट द्वारा निर्धारित की जाएगी।

व्याख्या : खण्ड (3) और (6) में उल्लिखित 15 मिनट की अवधि की गणना यथास्थिति, कार्य सूची के परिचालन अथवा पीठासीन अधिकारी की घोषणा अथवा मंत्री के वक्तव्य के पूरा होने के समय से की जायेगी।"

निदेश 114क

14. निदेश 114 के अन्त में नया निदेश 114क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

114क "वादविवाद में मंत्रियों" द्वारा दिये गये वक्तव्यों में गलती या त्रुटि ठीक करने की प्रक्रिया:—(1) वाद-विवाद के दौरान मंत्री द्वारा दी गई किसी जानकारी में किसी गलती या त्रुटि को ठीक करने का इच्छुक मंत्री, अध्यक्ष सहमति से ऐसी गलती या त्रुटि को ठीक करने के लिए सभा में वक्तव्य दे सकेगा।

(2) ऐसे वक्तव्य देने की प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित वही होगी जो निदेश 16 में दी गई है।

निदेश 115क

15. निदेश 115क में निम्नलिखित नया खण्ड (4) जोड़ा जायेगा अर्थात् :—

"(4) यदि कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा न पुकारे जाने पर बोलता है है अथवा भाषण को तुरन्त समाप्त करने के लिए उनके निदेशों के बावजूद बोलना जारी रखता है तो अध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि यथास्थिति, ऐसा भाषण अथवा उसके अंश सभा की कार्यवाही वृत्तात का भाग नहीं बनेंगे।"

निदेश 115ख

16. निदेश 115ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"हिन्दी अथवा अंग्रेजी से भिन्न भाषणों से भाषण

115(ख). हिन्दी अथवा अंग्रेजी से भिन्न भाषणों में भाषण के बारे में प्रक्रिया :—(1) कोई सदस्य लोक सभा में निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा अर्थात असमियां, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलगु या उर्दू में भाषण दे सकेगा बशर्ते कि वह कम से कम आधे घण्टे इस आशय की सूचना पहले पटल अधिकारी को दे देता है ताकि संबंधित भाषान्तरकार अपने बूथ में भाषान्तर के लिए आ सके। उस भाषण का हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ भाषान्तरण किया जायेगा। तत्पश्चात् उसके भाषण का हिन्दी का अथवा अंग्रेजी रुपान्तर तैयार किया जाएगा और सभा की कार्यवाही के शासकीय वृतांत में यह रुपान्तर एक बाद टिप्पण के साथ मुद्रित किया जाएगा जिसमे वह भाषा दर्शायी जाएगी जिसमें मूल भाषण दिया गया हो।

(2) हिन्दी; अंग्रेजी और खंड (1) में वर्णित भाषाओं से भिन्न किसी भाषा में भाषण देने के इच्छुक सदस्य को भाषान्तरकारों के उपयोग तथा बाद में सभा की कार्यवाही के शासकीय वृतांत में शामिल करने हेतु अपने भाषण के हिन्दी अथवा अंग्रेजी रुपान्तर की तीन सत्यापित प्रतियां पटल अधिकारी को अथवा संसदीय सूचना कार्यालय में पहले देनी होंगी।

परन्तु यदि कोई सदस्य ऐसा रुपान्तर प्रदान नहीं करता है, तो यह तथ्य कि वह सदस्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा खण्ड (1) में वर्णित भाषाओं से भिन्न किसी अन्य भाषा में बोला था, सभा की कार्यवाही के शासकीय वृतांत में इस टिप्पणी के साथ वर्णित किया जायेगा कि उस समय ने अपने भाषण का हिन्दी अथवा अंग्रेजी रुपान्तर नहीं दिया।

(3) कोई सदस्य या (दो से अनधिक सदस्य) जिनके नाम से तारांकित प्रश्नों की सूची में कोई प्रश्न है, खण्ड (1) में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा में अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेगा; बशर्ते कि जिस दिन की प्रश्न सूची में मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न को सम्मिलित किया गया हो, उससे पहले के कार्य दिवस को 3 बजे से पूर्व इस बारे में अग्रिम सूचना दे दी जाती है।"

निदेश 118

17. निदेश 118 में,—

(क) निदेश 118 के खण्ड 2 (एक के) स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) यदि कोई गैर-सरकारी सदस्य अपने भाषण के दौरान किसी गुप्त सरकारी दस्तावेज, पत्र अथवा रिपोर्ट में से उद्धत करना चाहे तो वह पहले से उसकी एक प्रति अध्यक्ष को देगा तथा वह सदस्य जो अंश उद्धृत करना

चाहता है उसके बारे में भी बताएगा ताकि अध्यक्ष यह निश्चय कर सके कि क्या अनुमति दी जानी चाहिए। यदि अध्यक्ष सदस्य को उस दस्तावेज में से उद्धृत करने की अनुमति दे देता है, तो सदस्य उचित समय पर ऐसा कर सकेगा। यदि अध्यक्ष आवश्यक अनुमति नहीं देता है है तो सदस्य न तो उस दस्तावेज में से उद्धृत करेगा और न ही उसकी विषयवस्तु का उल्लेख करेगा।"

(ख) इस प्रकार संशोधित खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (3) (एक) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"3 (एक) किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा सभा पटल पर रखे जाने आशयित किसी पत्र अथवा दस्तावेज को पटल पर रखने के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा यदि सदस्य ने उस पत्र अथवा दस्तावेज में से उद्धृत किया हो। यदि कोई सदस्य उसे सभा पटल पर रखना चाहता है तो वह उसे पटल पर दे सकेगा किन्तु वह तब तक सभा पटल पर रखा गया नहीं समझा जाएगा, जब तक अध्यक्ष उसकी जांच करने के बाद आवश्यक अनुमति न दे दे।"

(ग) खण्ड 2 (दो) को 3 (दो) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा।

निदेश 119

18 निदेश 119 के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात् —

"स्पष्टीकरण — वक्तव्य उस विषय से संबंधित होगा जिसके लिए वह मंत्री उत्तरदायी है तथा वह लोक महत्व अथवा सामयिक महत्व के किसी विशिष्ट विषय पर सरकार की नीति को स्पष्ट करने के लिए दिया जाएगा।

सुभाष काश्यप,
महासचिव।"

प्रमाणित

सुभाष काश्यप, महासचिव

No. 46|1|CI|89.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin-Part II, dated the 10th May, 1989, is hereby published for general information :—

No. 2931

Amendments to Directions by the Speaker under the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Third Edition)

In pursuance of rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixth Edition), the Speaker has made the following amendments to the Directions :—

DIRECTION 2

1. For direction 2, the following shall be substituted, namely :—

"2. Relative precedence of different classes of business.—Unless the Speaker otherwise directs on any particular occasion, the relative precedence of the classes of business before the House specified below shall be in the following order, namely :—

(i) Oath or affirmation.

(ii) Laying of President's Address to both Houses of Parliament.

(iii) Introduction of Ministers.

(iv) Obituary references.

(v) Questions (including short notice questions).

(vi) Leave to move motions for adjournment of the business of the House.

(vii) Questions involving a breach of privilege.

(viii) Papers to be laid on the Table.

(ix) Communication of messages from the President.

(x) Communication of messages from the Rajya Sabha.

(xi) Intimation regarding President's assent to Bills.

(xii) Communications from magistrates or other authorities regarding arrest or detention or release of members of the House.

(xiii) Announcements by the Speaker regarding leave of absence of members from the sittings of the House.

(xiv) Announcements by the Speaker regarding various matters, e.g., resignations of members of the House, vacation of seats of members, nominations to Panel of Chairman, Committees, etc.

(xv) Rulings by the Speaker.

(xvi) Presentation of reports of Committees| laying of minutes of sittings thereof etc.

(xvii) Laying of evidence tendered before Select| Joint Committees on Bills.

(xviii) Presentation of petitions.

(xix) Statements by Ministers.

(xx) Motions for elections to Committees.

(xxi) Motions for extension of time for presentation of reports of Committees.

(xxii) Calling Attention Notices.

(xxiii) Personal statements by ex-Ministers in explanation of their resignation.

(xxiv) Statements under direction 115.

(xxv) Personal explanations under rule 357 (if not made during the debate).

(xxvi) Motions for adoption of reports of Business Advisory Committee.

(xxvii) Motions for election of Speaker and Deputy Speaker.

(xxviii) Motions for leave to move Resolution for removal of Speaker|Deputy Speaker.

(xxix) Motion for leave to make a motion of no-confidence in the Council of Ministers.

(xxx) Presentation of Railway Budget|Budget in respect of a State under President's Rule.

(xxxi) Presentation of Supplementary|Excess Demands for Grants (General, Railways and in respect of a State under President's Rules).

(xxxii) Bills to be withdrawn.

(xxxiii) Bills to be introduced.

(xxxiv) Laying of explanatory statements giving reasons for immediate legislation by Ordinances.

(xxxv) Raising of matters under rule 377, which are not points of order.

(xxxvi) Consideration of reports of Committee of Privilege."

DIRECTION 8

2. For clause (1) of direction 8, the following shall be substituted, namely :—

"(1) After the result of ballot has been published in Bulletin-Part II, notices of next motions in regard to Bills as have secured a place among the first twenty Bills in the ballot of private members' Bills, shall be given by the members concerned by the dates specified in Bulletin so as to enable their Bills being included in the list of business."

DIRECTION 10

3. For proviso to direction 10, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that in the case of such a consolidated question being placed on the list of questions for oral answer, the names of not more than two members, determined in the order of precedence, shall be shown against such question and the notices of such members as are in excess shall be disallowed :

Provided further that in the case of such a consolidated question being placed on the list of questions for written answer, the names of all the members concerned shall be bracketed and shown in the order of precedence."

NEW DIRECTION 10A

4. After direction 10, the following new direction 10A shall be inserted, namely :—

10A "Admissibility of questions.—Besides the conditions of admissibility of questions mentioned in rule 41, a question shall be inadmissible on any of the following grounds :—

(i) if the Speaker is satisfied that it has no factual basis ;

(ii) it is based on opinion of an individual expressed in an article, write up, lecture or public speech ;

(iii) it seeks information on matters which tend to encourage fissiparous and divisive tendencies and weaken the unity and integrity of the country ;

(iv) if it seeks to pursue a matter already under correspondence between the member and the Minister or the Ministry ;

(v) it seeks information on a matter relating to an individual or an individual concern or company ;

(vi) it seeks redressal of service grievances for which already institutional means exist ;

(vii) it relates to a matter of day-to-day administration or tends to further the interest of an individual or a few individuals ;

(viii) it relates to a matter falling primarily within the jurisdiction of the Chief Election Commissioner, C&AG, courts and other such functionaries ;

(ix) it relates to petitions and memoranda received or public speeches made by Ministers ;

(x) it seeks information on a matter pending before an investigative agency and its disclosure is likely to prejudice the course of investigation ;

(xi) it relates to a matter under negotiation with a government of other country and its disclosure may affect the course of negotiations to the detriment of the national interests ; and

(xii) it relates to a matter within the jurisdiction of the Speaker."

DIRECTION 15

5. In direction 15, for the words "asked or" the words "asked as" shall be substituted.

DIRECTION 16

6. In direction 16

(a) the words 'or in debate' shall be deleted.

(b) In marginal heading, the words "or statements in debate" shall be deleted.

DIRECTION 47A

7. In sub-clause (1) of direction 47A, the words "and the Minister shall reply at the end to the clarificatory questions asked thereon", shall be added at the end.

DIRECTION 48A

8. After direction 48, the following new direction 48A shall be inserted, namely :—

"48A "Manner of election to Committees.—Elections to Parliamentary Committees shall be

held in accordance with the regulations made by the Speaker for holding of elections to Committees by means of the single transferable vote."

DIRECTION 96A

9. Direction 96A shall be omitted.

DIRECTION 100

10 In direction 100, for the words "where the Committee on Estimates|Public Accounts|Public Undertaking" the words "where the Committee on Estimates or the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings" shall be substituted.

DIRECTION 102

11. In direction 102,

(a) For the marginal heading, the following shall be substituted, namely :—

"Action taken on recommendations of Estimates Committee or Committee on Public Accounts or Committee on Public Undertakings."

(b) In clause (1) of direction 102 after the words "Committee on Estimates" the words "or the Committee on Public Accounts" shall be inserted.

(c) In clause (2) of direction 102 for the words beginning with the words "Thereafter, the Committee" and ending with the words "not acceptable to the Committee.", the following shall be substituted, namely :—

"Thereafter, the Committee shall present further report to the House regarding the action taken on the original recommendations made by the Committee. The report shall consist of five Chapters as follows :—

I. Report ;

II. Recommendations|Observations which have been accepted by Government ,

III. Recommendations|Observations in res the Committee do not desire to pursue in view of Government's replies ;

IV. Recommendations|Observations in respect of which replies of Government have not been accepted by the Committee ; and

V. Recommendations|Observations in respect of which final replies of Government are still awaited"

(d) After clause (2), the following new clause (3) shall be added, namely :—

"(3) Government shall, as early as possible, after the presentation of the Action Taken Report of the Committee on Estimates or the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings, furnish statements of action taken or proposed to be taken by them on the recommendations contained in Chapter I and the final replies to the recommendations contained in Chapter V of the report. The replies so received shall be consolidated in the form of a statement and, after Chairman's approval, laid on the Table of the House."

DIRECTION 113

12 In direction 113, the words "or in the statement made by Minister of Parliamentary Affairs regarding Government Business for next week" shall be added at the end.

NEW DIRECTION 113BB

13 After direction 113B, the following new direction 113BB shall be inserted, namely :—

113BB. "Procedure for giving notices for motions under rule 184 or on short duration discussion under rule 193.—(1) Notices of Motions under rule 184 and Short Duration Discussions under rule 193 shall be accepted from the date following the date of issue of summons for a session.

(2) Such notices regarding statements to be made in the House by Ministers or statements, reports or papers to be laid on the Table shall be accepted from 10.00 hours on the day the list of business wherein the item has been included, is circulated to members.

(3) In a case where a supplementary list of business is circulated in the House in regard to a statement, notices in respect of that statement, received within fifteen minutes of circulation of the list of business, shall be deemed to have been received at the same point of time and their inter-se priority determined by ballot

(4) In a case where an announcement is made by the Chair about a statement to be made by a Minister in the House, notices in respect of that statement shall be accepted from the time the announcement is made by the Chair in the House

(5) In a case where a statement is made without being included in the list of business or supplementary list of business, notices in respect of such statement shall be accepted from the time the statement is actually made in the House.

(6) All notices received within fifteen minutes of announcement by the Chair, or statement by the Minister under clauses (4) & (5) respectively, shall be deemed to have been received at the same point of time and their inter se priority determined by ballot.

Explanation—The period of fifteen minutes referred to in clauses (3) and (6) shall be computed from the time of completion of Circulation of list of business or the announcement by the Chair or the statement of the Minister, as the case may be."

DIRECTION 114A

14. After direction 114, the following new direction 114A shall be inserted, namely :—

114A. "Procedure for Ministers correcting a mistake or inaccuracy in statements made in debate.—(1) A Minister wishing to correct a mistake or inaccuracy in the information given by him during a debate may make a statement in the House correcting such mistake or inaccuracy with the consent of the Speaker.

(2) The procedure for making such statement shall be mutatis mutandis the same as laid down in direction 16."

DIRECTION 115A

15. In direction 115A, the following new clause (4) shall be added, namely :—

"(4) If a member speaks without being called by the Speaker to speak or continues to speak despite his directions to conclude the speeach forthwith, the Speaker may direct that such speech or portions thereof, as the case may be shall not form part of the proceedings of the House."

DIRECTION 115B

16. For direction 115B, the following shall be substituted, namely :—

"SPEECHES IN LANGUAGES OTHER THAN HINDI OR ENGLISH

115B. Procedure regarding speeaches in Languages other than Hindi or English.—(1) A member may make a speech in Lok Sabha in any of the following languages, namely, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu or Urdu provided he gives at least half-an hour's notice to that effect to the officer at the Table in order to enable the Interpreter concerned to take position in the Interpreters' Booth. The speech shall be simultaneously interpreted into Hindi and English.

The translation of his speech in Hindi and English shall thereafter be prepared and printed in the official report of the proceedings of the House with a foot-note indicating the language in which the original speech was delivered.

(2) A member desirous of making a speech in any language other than Hindi, English and the languages mentioned in clause (1) shall furnish to the officer at the table or the Parliamentary Notice Office, three authenticated copies of the transalation of his speech in Hindi or English in advance for use of the interpreters and later incorporation in the official report of the proceedings of the House :

Provided that where a member does not furnish such translation, the fact that the member spoke in a language other than Hindi or English or any of the languages mentioned in clause (1), shall be mentioned in the official report of the proceedings of the House with the remark that the member did not furnish a translation of his speech in Hindi or English.

(3) A member or members (not more than two) in whose name (s) a question appears in the list of starred questions may ask supplementaries in any of the languages mentioned in clause (1) provided an advance notice in this regard is given not later than 3 P. M. on the working day preceding the day on which the question is listed for oral answer."

DIRECTION 118

17. In direction 118,

(a) For clause 2(i) of direction 118, the following shall be substituted, namely :—

"(2) If a private member, in the course of his speech wishes to quote from a secret Government document, paper or report, he shall supply a copy thereof in advance to the Speaker and also indicate the portions thereof which he wishes to quote in order to enable the Speaker to decide whether permission should be given. If the Speaker permits the member to quote from the document, the member may do so at the appropriate time. If the Speaker does not accord the necessary permission, the member shall not quote from the document nor refer to its contents."

(b) After clause (2), so amended, the following new clause (3) (i) shall be inserted namely :—

"(3) (i) A paper or document sought to be laid on the Table by a private member may be considered for laying on the Table only if the member has quoted therefrom. The member seeking to lay the same may hand it over at the Table but it shall not be deemed to have been laid on the Table unless the Speaker, after examination, accords the necessary permission."

(c) Clause 2 (ii) shall be renumbered as 3 (ii).

DIRECTION 119

18. In direction 119, the following explanation shall be added at the end, namely :—

"Explanation :—

The statement shall pertain to a subject, for which the Minister is responsible and shall be made to explain Government's policy in regard to a specific matter of public importance or topical interest."

SUBHASH C. KASHYAP, Secretary-General."

CERTIFIED

SUBHASH C. KASHYAP, Secretary-General,

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989